

सहारा इंडिया रियल इस्टेट कारपोरेशन लि. (एस.आई.आर.ई.सी.एल.) तथा सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि. (एस.एच.आई.सी.एल.) के बॉण्डधारक जिनके पास निम्नलिखित बॉण्ड हैं :

एस.आई.आर.ई.सी.एल. द्वारा जारी किये गये बॉण्ड	रियल इस्टेट / एबोड / निर्माण बॉण्ड
एस.एच.आई.सी.एल.द्वारा जारी किये गये बॉण्ड	मल्टीपल / इनकम / हाउसिंग बॉण्ड

**बॉण्डधारकों के लिए अनुदेश:**

1. धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन का फॉर्मेट नीचे दिया गया है ।
2. आवेदनों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगाये जायें :
  - i. मूल बॉण्ड प्रमाणपत्र / पासबुक (जिन आवेदनों के साथ पासबुक / मूल बॉण्ड प्रमाणपत्र नहीं लगे होंगे, उन आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा);
  - ii. पहचान के सबूत और पते के सबूत की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ;
  - iii. बैंक की पासबुक के पहले पृष्ठ की स्व-प्रमाणित प्रति या रद्द किया गया चेक (कैन्सल्ड चेक) [पासबुक की प्रति / दिये गये चेक के अनुसार, धन-वापसी (रिफंड) की रकम आपके बैंक खाते में जमा कर दी जायेगी] ।
3. पहचान के सबूत और पते के सबूत के तौर पर स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची:
  - i. पहचान का सबूत: विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) / पासपोर्ट # / मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस # / पैन कार्ड / सरकारी फोटो पहचान पत्र / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा जारी किया गया सर्विस फोटो पहचान पत्र / मनरेगा (एमजीएनआरईजीए) जॉब कार्ड / पेंशनभोगी (पेंशनर) का फोटो कार्ड / आवेदक (आवेदकों) की पहचान के सबूत का कोई अन्य दस्तावेज जो सेबी को स्वीकार्य हो ।
  - ii. पते का सबूत: विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) / पासपोर्ट # / मतदाता पहचान पत्र / राशन कार्ड / निवास स्थान का रजिस्ट्रीकृत पट्टा करार (लीज़ एग्रीमेंट) या विक्रय करार (सेल एग्रीमेंट) # / ड्राइविंग लाइसेंस # / फ्लैट का मेनटेनेंस बिल / बीमा की प्रति # / बिल जैसे टेलीफोन का बिल (केवल लैंड लाइन का), बिजली का बिल या गैस का बिल - जो 3 महीने से ज्यादा पुराने न हों / बैंक खाते के विवरण या पासबुक - जो 3 महीने से ज्यादा पुराने न हों / सरकारी फोटो पहचान पत्र / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा जारी किया गया सर्विस फोटो पहचान पत्र / संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) की रसीदें / मनरेगा (एमजीएनआरईजीए) जॉब कार्ड / पेंशनभोगी (पेंशनर) का कार्ड / आवेदक (आवेदकों) के पते के सबूत का कोई अन्य दस्तावेज जो सेबी को स्वीकार्य हो ।  
#जिन दस्तावेजों की "समाप्ति की तारीख" हो, ऐसे दस्तावेज, प्रस्तुत किये जाने की तारीख को विधिमान्य (वैध) होने चाहिए ।
4. स्रोत पर आय-कर की कटौती कर ली जायेगी, जहाँ लागू होगा, जब तक कि स्रोत पर कर की कटौती से छूट की मांग हेतु निर्धारित फॉर्म (आय-कर अधिनियम, 1961 के तहत फॉर्म 15जी / फॉर्म 15एच), आय-कर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार 'धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन' के साथ प्राप्त न हो । यदि फॉर्म 15जी / फॉर्म 15एच अधूरा भरा हुआ होगा, तो स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) से छूट दिये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा ।
5. यदि वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन हुआ हो या यदि अवयस्क बॉण्ड-धारक वयस्क हो गया हो, तो ऐसे बॉण्ड-धारकों से निवेदन है कि वे इस प्रकार स्थिति में हुए परिवर्तन के समर्थन में आवश्यक सबूत 'धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन' के साथ भिजवायें ।
6. बॉण्डधारकों को यह सलाह दी जाती है कि वे भविष्य में पत्रादि लिखते समय सदैव कंपनी के नाम, स्कीम के नाम, कंट्रोल नं./ खाता सं. का उल्लेख करें ।
7. किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए, कृपया भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की निःशुल्क दूरभाष सेवा (टोल-फ्री हेल्पलाइन) सं.: 1800-22-7575 या 1800-266-7575 पर संपर्क करें ।

## धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन

(कृपया केवल बॉल प्वाइंट पेन का ही प्रयोग करें)

विषय: सहारा इंडिया रियल इस्टेट कारपोरेशन लि. (एस.आई.आर.ई.सी.एल.) और / या सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि. (एस.एच.आई.सी.एल.) में मेरे निवेश

में एतद्वारा सहारा की उपरोक्त कंपनियों में अपने निवेश की धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन प्रस्तुत करता हूँ / करती हूँ। इसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

- बॉण्ड-धारक का नाम : \_\_\_\_\_
- सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी / द्वारा (C/o) : \_\_\_\_\_
- व्यवसाय : \_\_\_\_\_
- दूरभाष (एसटीडी कोड सहित) / मोबाइल नं. : \_\_\_\_\_
- ई-मेल : \_\_\_\_\_
- पैन नंबर, यदि उपलब्ध हो (कृपया पैन कार्ड की प्रति संलग्न करें) : \_\_\_\_\_
- पता \*

यदि शहरी क्षेत्र में स्थित है, तो निम्नलिखित फार्मेट में:		यदि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है, तो निम्नलिखित फार्मेट में:	
मकान / फ्लैट नं., मंजिल, परिसर का नाम, ब्लॉक नं.		गाँव का नाम	
गली, नजदीकी स्थान, मोहल्ला		डाकघर का नाम	
इलाका, रोड, सेक्टर		तहसील व जिला	
कस्बा / शहर		राज्य	
पिन कोड		पिन कोड	

\* यदि उपरोक्त पता सहारा द्वारा जारी मूल बॉण्ड प्रमाणपत्र / पासबुक में उल्लिखित पते से भिन्न हो, तो कृपया दोनों पतों के लिए पते के सबूत प्रस्तुत करें (अनुदेश सं. 2 देखें)।

8. निवेश के ब्यौरे (ब्यौरे कृपया नीचे दिये गये खानों में ही भरें)

विवरण	सहारा इंडिया रियल इस्टेट कारपोरेशन लि. में निवेश			सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि. में निवेश		
	रियल इस्टेट	निर्माण	एबोड	मल्टीपल	इनकम	हाउसिंग
खाता संख्या / कंट्रोल नंबर						
बॉण्डों की सं.						
निवेश की गयी राशि						
निवेश का माध्यम (नकद / चेक / डीडी) *						

\* यदि निवेश चेक/डीडी के माध्यम से किया गया हो, तो कृपया चेक/डीडी सं., तारीख, अदाकर्ता बैंक और शाखा का उल्लेख करें, और चेक के मामले में कृपया बैंक खाते के विवरण / बैंक की पासबुक की संबद्ध प्रतियाँ (चेक से किये गये भुगतान के सबूत हेतु) संलग्न करें।

9. बैंक खाते के ब्यौरे

बैंक का नाम और शाखा	
खाताधारक का नाम	
खाता संख्या	खाते का प्रकार: <input type="checkbox"/> बचत खाता <input type="checkbox"/> चालू खाता (जो लागू हो, उस पर कृपया सही का निशान लगायें)
आईएफएससी कोड	

### वचन

मैं/हम \_\_\_\_\_ यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ / करते हैं कि इस आवेदन फॉर्म में दी गयी जानकारी मेरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 31 अगस्त 2012, 5 दिसम्बर 2012 तथा 8 मई 2013 के आदेशों के अनुसरण में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा मुझे/हमें उपरोक्त रकम वापस किये जाने के संबंध में, मैं एतद्वारा यह वचन देता हूँ/देती हूँ / हम एतद्वारा यह वचन देते हैं कि यदि मेरी / हमारी उपरोक्त घोषणा बाद में मिथ्या साबित हो जाती है, तो मैं / हम उक्त रकम लागू ब्याज के साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को लौटाऊँगा / लौटाऊँगी / लौटाएँगे। इसके अलावा, मैं / हम कानून के अनुसार किन्हीं सिविल या दंडिक कार्रवाइयों का भी दायी रहूँगा/की भी दायी रहूँगी / के भी दायी रहेंगे।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान